

15-5-24

वर्तमान  
कमील वादी उच्च  
न्यायाधीश (एमन आरएमन मंत्री का  
पत्रावली का न्यायाधीश 15-7-24 को पेश है।  
उक्ति का अर्थ है ॐ

15/7/24

तत्कालीन पेश हुई  
न्यायाधीश अधिकारी अन्य प्रशासनिक  
कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्वानुसार  
दिनांक 18/9/24 को पेश हो

18/9/24

आज बार सच में कार्य नहीं करने का  
निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार  
दिनांक 20/11/24 को पेश हो।

20-11-24

पत्रावली पेश हुई वारी अधिकता को  
बार-बार आवाज लगाई, अतः पत्रावली  
अदम टाऊरी / अदम पैरवी स्वारिज की  
जाती है। पत्रावली बाद तकमिल फैसला  
शुमार होकर दारिद्वत अभिलेखागार है

by